



श्रीरुद्र के वागुगता श्रीम  
द्वारा 18-3-17 का कोअपम  
प्रस्तुत किया 18-3

131



PBR/निगरानी/इंदौर/भू-21/2017/2288

प्रकरण क्रं. ....2017-18 निगरानी

प्रस्तुति दिनांक .....

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर

मध्यप्रदेश

श्रीमती बिरिमल्लाह बी बेवा अकबर  
उम्र 85 वर्ष, धंधा गृहकार्य  
निवासी ग्राम सोनवाय, तह. महू  
जिला इंदौर (म.प्र.)

-- प्रार्थी

विरुद्ध

1. रामलाल पिता लखनलाल  
उम्र वयस्क, धंधा नौकरी  
निवासी 32, आनंद नगर, इंदौर (म.प्र.)
2. दरियावबाई पति अर्जुन  
उम्र वयस्क, धंधा गृहकार्य  
निवासी 32, आनंद नगर, इंदौर (म.प्र.)
3. श्यामलाल पिता लखनलाल  
उम्र वयस्क, धंधा नौकरी  
निवासी 32, आनंद नगर, इंदौर (म.प्र.)
4. मदन पिता छोटू  
उम्र वयस्क, धंधा नौकरी  
निवासी 32, आनंद नगर, इंदौर (म.प्र.)
5. जमनाबाई पति गणेश  
उम्र वयस्क, धंधा गृहकार्य  
निवासी 32, आनंद नगर, इंदौर (म.प्र.)
6. रामचंद्र पिता देवा  
उम्र वयस्क, धंधा कृषि कार्य  
निवासी ग्राम सोनवाय, तह. जिला इंदौर (म.प्र.)

25-8-17

-- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

विरुद्ध अवधि विधान अधिनियम के धारा 05 के आदेश

दिनांक 25.05.2017 प्रकरण क्रमांक 22 अपील 13-14

अनुविभागीय अधिकारी महू, जिला इंदौर मध्यप्रदेश

अविरत् पेज ...2 पर



*(Handwritten signature)*

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2288-पीबीआर/2017 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p style="text-align: center;"> अध्यक्ष</p> <p> 2019</p>	